भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.2056

जिसका उत्तर 09.12.2021 को दिया जाना है

ट्रक चालकों की कमी

2056. श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री जी.सेल्वम:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री धनुष एम.कुमार:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
डॉ.डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
श्री गजानन किर्तिकर:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमति सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में ट्रक चालकों की कमी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का देश में ट्रक ड्राइविंग स्कूल खोलने का विचार है और यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और उसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ट्रक चालकों के हित में उन्हें भविष्य निधि और बीमा लाभ प्रदान करने जैसे कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजमार्ग पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा ट्रक चालकों को परेशान किया जाता है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए है;

(ड.) क्या सरकार ने इन एजेंसियों को ट्रक ड्राइवरों और फ्लीट मालिकों को परेशान नहीं करने के लिए कोई निदेश जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मार्च-अप्रैल, 2021 के महीने में ऑक्सीजन संकट के दौरान तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंकरों को संभालने के लिए तकनीकी रूप से योग्य प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी की सूचना मिली थी। तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) के परिवहन की आवश्यकता में निरंतर वृद्धि, ऑक्सीजन प्रबंधन की विस्तारित अवधि, क्रायोजेनिक टैंकरों की सूची के अलावा और 24x7 संचालन के कारण अत्यधिक थकान / दुर्घटना दर को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने मई 2021 में राज्यों को परामर्शी जारी की जिसके अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के रूप में "खतरनाक कार्गो" के परिवहन के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों का एक पूल बनाना उनके कार्यक्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईजी - 2) के निर्देश पर तरल मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर ड्राइवरों के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। इंडियन केमिकल काउंसिल (आईसीसी), लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएसएससी) और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) की मदद से भारी व्यावसायिक ड्राइवरों के लिए क्षमता निर्माण का एक विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार किया गया था।

सेव लाइफ फाउंडेशन के लिए मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स द्वारा फरवरी, 2020 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार अनुसार भारत का लगभग 25% से 30% ट्रक किसी भी समय ड्राइवरों की कमी कमी के कारण बिना कार्य के पड़ा रहता है।

(ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2002-03 से ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआई) की स्थापना की एक राष्ट्रीय व्यापक योजना लागू की है। 12वीं वित्तीय वर्ष योजना अवधि (2012-17) में 17.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता और 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता के साथ इस योजना का नाम बदलकर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) के रूप में 5.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और भूमि की आवश्यकता (3 एकड़) के साथ टियर ॥ के रूप में एक नया घटक जोड़ा गया था। 14वें वित्तीय चक्र के दौरान आईडीटीआर के वित्तीय निहितार्थ को 17.00 करोड़ से संशोधित कर 18.50 करोड़ कर दिया गया।

योजना का मूल उद्देश्य वाणिज्यिक वाहन चालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने, सड़क और पर्यावरण सुरक्षा में सुधार और सड़कों पर समग्र गतिशीलता को मजबूत करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के साथ एक पूर्ण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना है। इन संस्थानों में मुख्य गतिविधियों/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

• भारी मोटर वाहन ड्राइविंग में प्रवेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना।

• हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग में प्रवेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना।

• निजी ड्राइविंग स्कूलों के ड्राइविंग प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

• खतरनाक सामानों के सुरक्षित परिवहन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन।

• खतरनाक सामानों के सुरक्षित परिवहन पर एक दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन।

• सेवा में रहने वाले ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या और अभिविन्यास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

• विभिन्न संगठनों द्वारा ड्राइवरों का परीक्षण और चयन करना।

अब तक, मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 31 आईडीटीआर और 6 आरडीटीसी स्वीकृत किए गए हैं, जैसा कि अनुबंध- । में वर्णित है। जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है, इस योजना के तहत राज्य के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों सहित मार्गस्थ सुविधाएं, फूड कोर्ट, ट्रक पार्किंग बे आदि ड्राइवरों के हित में कई कदम उठाए हैं।

(घ) से (च) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर यान (एमवी) अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 की व्यवस्था करता है। हालांकि, इसके प्रावधान राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू किए जाते हैं। मंत्रालय एमवी अधिनियम 1988 और सीएमवीआर 1989 के प्रावधानों को लागू करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी करता रहा है।

'ट्रक चालकों की कमी' के संबंध में श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री जी.सेल्वम, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, श्री सी.एन.अन्नादुरई, श्री धनुष एम.कुमार, श्री गौतम सिगामणि पोन, डॉ.डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस, श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़, श्री गजानन किर्तिकर, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्रीमति सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा पूछे गये दिनांक 09 दिसंबर 2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं.2056 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चालन प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) और क्षेत्रीय चालन प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	आईडीटीआर/आरडीटीसी	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	आई डी टी आर	विजयवाड़ा
2		आई डी टी आर	दासरी
3		आई डी टी आर	करनूल
4	असम	आई डी टी आर	गुवाहाटी
5	बिहार	आई डी टी आर	औरंगाबाद
6	छत्तीसगढ	आई डी टी आर	नया रायपुर
7	हरियाणा	आई डी टी आर	रोहतक
8		आई डी टी आर	भिवानी
9	हिमाचल प्रदेश	आई डी टी आर	जसूर (कंगना)
10		आई डी टी आर	सरकाघाट
11	जम्मू और कश्मीर	आई डी टी आर	जम्मू
12	झारखंड	आई डी टी आर	जमशेदपुर
13	कर्नाटक	आई डी टी आर	बेल्लारी
14	केरल	आई डी टी आर	एडप्पल
15	मध्य प्रदेश	आई डी टी आर	इंदौर
16		आई डी टी आर	छिंदवाड़ा
17	महाराष्ट्र	आई डी टी आर	पुणे

18		आई डी टी आर	लातूर
19		आई डी टी आर	नागपुर
20		आरडीटीसी	नागपुर
21		आरडीटीसी	वर्धा
22		आरडीटीसी	नांदेड़
23		आरडीटीसी	अमरावती
24	मणिपुर	आई डी टी आर	इंफाल
25	नगालैंड	आई डी टी आर	दीमापुर
26	उड़ीसा	आई डी टी आर	जाजपुर
27	राजस्थान	आई डी टी आर	राजसमंद
28		आरडीटीसी	अजमेर
29	सिक्किम	आई डी टी आर	पाक्योंग
30	तेलंगाना	आई डी टी आर	सिरसिला
31	त्रिपुरा	आई डी टी आर	अगरतला
32	उत्तर प्रदेश	आई डी टी आर	कानपुर
33		आई डी टी आर	रायबरेली
34	उत्तराखंड	आई डी टी आर	देहरादून
35	दिल्ली	आई डी टी आर	सराय काले खां
36	पश्चिम बंगाल	आई डी टी आर	कोलकाता
37		आरडीटीसी	कोलकाता

*****